यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कमर्सियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक पी–2, सै0–ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा, सिटी–201308 जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक–वाई.ई.ए./नियोजन/BP-70/17379 2017
दिनांक– 21/02/2017

सेवा में,

मैसर्स सूपरटेक लि0
बी–28, 29 सैक्टर–58
नौएडा–201307

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक–13/2/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके भूखण्ड संख्या जी.एच–01, टी.एस–01 सैक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत भवन मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त मानचित्रों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भवन मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जा रही है:–

1. मानचित्रों की वैधता अवधि भवन विनियमावली के अनुसार 5 वर्ष है। तथापि प्रथम फेज हेतु निर्माण करके दिनांक–12/08/2017 तक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना होगा।
2. पट्टा प्रलेख की शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य है।
3. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
4. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नही होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
5. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
6. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
7. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य की भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
8. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसव प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
10. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
11. प्राधिकरण की सडक पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे।
12. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रामण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नही लाया जायेगा।
14. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
15. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

meena
21.2.17

16. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. इस पत्र की स्वीकृति वर्तमान में केवल 30 मीटर भवन की ऊँचाई तक है। एयरपोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत पत्र एवं मानचित्र पर लिखित टिप्पणी को निरस्त करते हुए मानचित्र निर्गत किया जायेगा तथा संशोधित स्वीकृत पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जायेगा तथा मानचित्र की वैद्यता पूर्व में निर्गत तिथि से मान्य रहेगी।
18. दिनांक–07/02/2017 को टी.एस–01, सैक्टर–17ए के भू–विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में जारी स्वीकृत पत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
19. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
21. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नही किया जाएगा।
22. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
23. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवटी स्वंय लेगें।
24. एन0जी0टी एवं ई0पी0सी0ए0 निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे।

संलग्नक– स्वीकृत मानचित्रों की प्रति।

meena
21.2.17

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. उप महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक–नियोजन

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कमर्सियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक पी–2, सै0–ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा, सिटी–201308 जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक–वाई.ई.ए./नियोजन/BP-71/17371/2017
दिनांक– 21/02/2017

सेवा में,

मैसर्स सूपरटेक लि0
बी–28, 29 सैक्टर–58
नौएडा–201307

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक–13/2/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके भूखण्ड संख्या जी.एच–02, टी.एस–01 सैक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत भवन मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त मानचित्रों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भवन मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जा रही है:–

1. मानचित्रों की वैधता अवधि भवन विनियमावली के अनुसार 5 वर्ष है। तथापि प्रथम फेज हेतु निर्माण करके दिनांक–12/08/2017 तक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना होगा।
2. पट्टा प्रलेख की शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य है।
3. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
4. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नही होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
5. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
6. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
7. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य की भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
8. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसव प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
10. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
11. प्राधिकरण की सडक पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे।
12. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रामण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नही लाया जायेगा।
14. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
15. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

21/2/17

16. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. इस पत्र की स्वीकृति वर्तमान में केवल 30 मीटर भवन की ऊँचाई तक है। एयरपोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत पत्र एवं मानचित्र पर लिखित टिप्पणी को निरस्त करते हुए मानचित्र निर्गत किया जायेगा तथा संशोधित स्वीकृत पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जायेगा तथा मानचित्र की वैद्यता पूर्व में निर्गत तिथि से मान्य रहेगी।
18. दिनांक–07/02/2017 को टी.एस–01, सैक्टर–17ए के भू–विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में जारी स्वीकृत पत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
19. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
21. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नही किया जाएगा।
22. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
23. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवटी स्वंय लेगें।
24. एन0जी0टी एवं ई0पी0सी0ए0 निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे।

संलग्नक– स्वीकृत मानचित्रों की प्रति।

meena
21/2/17
(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. उप महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक–नियोजन

यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक–नियोजन / बी.पी–69 / 16784 / 2017

दिनांक– 07 / 02 / 2017

सेवा में,

मैसर्स सुपरटैक लि0
बी–28, 29, सैक्टर–58,
नौएडा।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक–06 / 01 / 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या टी0 एस0–01 सैक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त भू–उपयोग / भू–विन्यास मानचित्र की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जा रही है।

1. मानचित्रों की वैधता अवधि भवन विनियमावली के अनुसार 5 वर्ष है। तथापि प्रथम फेज हेतु निर्माण करके दिनांक–12 / 08 / 2017 तक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना होगा।
2. पट्टा प्रलेख की शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य है।
3. मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
4. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नही होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा (यदि आवश्यक हो) ।
7. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
8. समय–समय पर भू–उपयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों एवं प्राधिकरण से दिये जाने वाले निर्देशों का आवंटी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. संस्था द्वारा ग्रीन व ओपन स्पेस तथा पार्किंग नियमानुसार छोड़े जायेंगे।
10. प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था का विकास करना होगा।
11. परियोजना विभाग द्वारा वाह्य ड्रेनेज के लिए जो लेवल संस्था को उपलब्ध कराये जाएगें उसके अनुरूप ड्रेनेज प्लान को तैयार कर प्राविधान करने होंगे।
12. सालिड वेस्ट डिस्पोजल व मैनैजमेंट आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
13. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
14. आवंटी को प्राधिकरण / अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क / उपयोग व्यय वहन करने होंगे।
15. मास्टर प्लान एवं भवन विनियमावली (जो लागू हो) में दिये गये नियमों / विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
16. प्रवेश / निकास के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. स्थल पर तालाब / पोखर / झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।

meena
7/2/17

18. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. प्रश्नगत भूखण्ड में जो भूमि मा0 उच्च न्यायालय के स्थागनादेश से प्रभावित है उस पर मानचित्र केवल नियोजन हेतु प्रतीकात्मक रूप से रहेगा तथा प्राधिकरण द्वारा उस पर कोई मानचित्र स्वीकृति नही की जा रही है।
20. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functionalकरना होगा।
21. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवटी स्वंय लेंगे।
22. आवंटी एन0जी0टी एवं ई0पी0सी0ए0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे।
23. आवंटी संस्था के शपथ पत्र में अन्तर्निहित कथन के आधार पर ले–आउट प्लान में प्रस्तावित भूखण्डों में स्थित निर्माण कार्य भवन विनियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही आवंटी संस्था द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
24. शमन शुल्क की 90 प्रतिशत धनराशि को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से 01 वर्ष के अन्दर मासिक किस्तों में जमा कराना होगा। किस्तों का विवरण **संलग्नक–1** पर है। जमा न करने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त व्यवहरित होंगे।

संलग्नकः–

1. किस्तों का विवरण।
2. स्वीकृत भू–उपयोग/भू–विन्यास मानचित्र (1 प्रति)।

meena
7/2/17
(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव , मुख्य कार्यापालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उप महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक–नियोजन